डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में रक्ताधान की सुविधा

697. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल और दिल्ली के कुछ अन्य अस्पतालों में जिन रोगियों की शल्य चिकित्सा की जानी होती है, उन्हें रक्ताधान के लिए रेड क्रास सोसाइटी से रक्त लेने की अनुमति नहीं दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर "ना" हो तो रोगियों के संबंधियों को अस्पताल में ही खून देने के लिए विवश करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) रेड क्रास या किसी अन्य ऐसी ही संस्था में रक्तदान कर वहां से कोई कार्ड प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अपने स्वयं के आपरेशन या अपने संबंधी के आपरेशन के समय उस कार्ड के बदले में रेड क्रास से रक्त लेने की अनुमति न दिए जाने के क्या कारण हैं और अस्पताल किन कारणों से इस प्रकार की अनुमति नहीं देते हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अस्पतालों में रक्त दान करने के लिए रिश्तेदारों को विवश नहीं किया जाता है ।

(घ) ऐसे रक्त दाता को, जिसने रक्त दान किया है और रक्त दान का एक कार्ड प्राप्त किया है जो एक वर्ष तक मान्य होता है, अपने-अपने परिवार के किसी सदस्य की शल्य चिकित्सा (आपरेशन) के समय इस कार्ड के आधार पर रक्त प्राप्त करने की अनुमति है ।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में औषधियों का उपलब्ध न होना

698. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा लिखी गई औषधियां निःशुल्क वितरण के लिए सुलभ नहीं हैं ;

(ख) इस अस्पताल में निःशुल्क वितरण के लिए सुलभ औषधियों की सूची का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि रोगियों के रिश्तेदारों से शल्य चिकित्सा के समय खुले बाजार से महंगी औषधियां खरीदने के लिए कहा जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो शल्य चिकित्सा जैसे संकटकालीन समय में अस्पताल में ही इस प्रकार की औषधियों के सुलभ न होने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली अंतरंग और बहिरंग रोगियों को अस्पताल की फार्मूलरी के अनुसार सभी अनिवार्य औषधियां सप्लाई कर रहा है, तथापि खपत में वृद्धि (महामारियों, मौसमी, बुखारों, दुर्घटनाओं, संकटों) अथवा बाजार में कमी होने के कारण किसी दवाई के स्टाक में न होने से तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के वे सुपर बाजार से अथवा अन्य स्रोतों से जहां दवाईयां उपलब्ध होती हैं, स्थानीय खरीद द्वारा तत्काल प्राप्त कर ली जाती हैं । बाद में स्टाक की स्थिति को अद्यतन बनाने के लिए कदम उठाए जाते हैं यदि रोगी के रिश्तेदारों द्वारा असामयिक घड़ी में कोई दवाई खरीदी जाती है तो उसकी अस्पताल द्वारा अगली सुबह ही प्रतिपूर्ति कर दी जाती है ।

बहिरंग रोगी विभाग के औषधालय से सभी आम बीमारियों और विशेष फौलोअप क्लीनिकों के लिए वितरण की